

**श्री हणोगी माता मंदिर न्यास हणोगी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.01.2013 से 31.12.2017 तक
भाग -एक**

1 (क) प्रारम्भिक

श्री हणोगी माता मंदिर न्यास हणोगी के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) ग (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (a) 3-3/ 85-पार्ट-2 दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मंदिर न्यास अध्यक्ष एवं मंदिर अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे :-

क्र०सं०	मन्दिर अध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	29.1.12 से 31.1.13
2	श्री सुभकरण सिंह	31.1.13 से 15.6.14
3	श्री विवेक भाटिया	16.6.14 से 18.5.15
4	डॉ मदन कुमार	19.1.15 से 12.6.17
5	श्रीमती पूजा चौहान	13.1.17 से 17.1.18

क्र०सं०	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री हीरा चन्द	23.08.2012 से 30.11.16
2	श्री रमेश सिंह राणा	01.12.16 से 31.12.17 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र.स.	पैरा स.	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	8	डिपॉजिट वर्क/अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना	203.60
2	9	घास की आपूर्ति न करने के फलस्वरूप हानि	0.52
3	10	कैंटीन की बोली का आरक्षित मूल्य कम करने के कारण हानि	4.10
4	11	व्यक्तिगत वाहनों/टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर अनियमित भुगतान	0.34
5	14	निविदाओं के आमन्त्रित किए बिना खरीद/कार्य करवाना	3.15
6	17	स्रोत पर काटे गए आयकर व बिक्रीकर को जमा न करवाना	0.27
7	18	सावधि जमा पर स्रोत पर काटे गए आयकर की वसूली शेष	3.71

(ग) गत अंकेक्षण

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने के उपरांत पैरों का निपटारा किया गया। श्री हणोगी माता मंदिर न्यास हणोगी की प्रबंधन समिति द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणाम स्वरूप उनका निपटारा नहीं हो सका। अतः लंबित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु शीघ्र उचित पग उठाए जाएँ। गत अवधि के अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति का विवरण परिशिष्ट-(क) पर दिया गया है।

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

श्री हणोगी माता मंदिर न्यास हणोगी के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गए हैं, श्री मोहिंदर कुमार (सहायक नियंत्रक) व श्री शिव कुमार (क.ले०प.) द्वारा दिनांक 19.04.2018 से 12.06.18 के दौरान हणोगी में किया गया। आय व व्यय की जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया

वर्ष	आय के लिए च्यनित माह	व्यय के लिए च्यनित माह
2013	09/13	11/13
2014	10/14	12/14
2015	08/15	09/15
2016	06/16	11/16
2017	10/17	10/17

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मंदिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेख एवम सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग मंदिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

श्री हणोगी माता मंदिर न्यास हणोगी के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2017 के अंकेक्षण शुल्क का आकलन ₹65800 किया गया। सहायक नियंत्रक द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या (Fin/La)-Mc Mandi-06/18-153, दिनांक 12.06.18 के माध्यम से उपरोक्त शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु मंदिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

श्री हणोगी माता मंदिर न्यास की आय का मुख्य स्रोत श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में प्राप्त राशि है जिसका लेखा जोखा मुख्य लेखा में किया गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर न्यास की हणोगी, कुल्लू व मनाली की धर्मशालाओं, मंदिर कैंटीन एवं जूस बार आदि स्रोतों से

भी आय प्राप्त की जाती है जिसके लिए जूस बार, कुल्लू व मनाली धर्मशालाओं की रोकड़ बहियाँ तैयार की गई है। मंदिर न्यास द्वारा अवधि 01.01.2013 से 31.12.2017 के लेखों की जो वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गई थी उस का विवरण परिशिष्ट -(ख) (i)-(iv) पर दर्शाया गया है :-

5 रसीद बुकों के रख-रखाव में पाई गई अनियमितियाँ

मंदिर न्यास द्वारा विश्व शान्ति महायज्ञ के आयोजन हेतु चंदा/दान एकत्र किया जाता है यह रसीद बुकें ₹10, ₹20, ₹50 व ₹100 की denomination में प्रिंट कारवाई गयी थी तथा मंदिर न्यास द्वारा प्रयोग की गयी इन रसीद बुकों के रख रखाव में निम्न आपतियाँ पायी गयी।

(क) बिना प्रयोग की हुई रसीद बुकों का शेष पाया जाना :

मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त उद्देश्य हेतु छपवाई गई रसीद बुकों में से निम्न रसीदें शेष थी परन्तु इन रसीदों को आगामी वर्षों में ना तो प्रयोग किया गया था न सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द करवाया गया था। अतः इन रसीदों को या तो प्रयोग में लाया जाए या फिर सक्षम अधिकारी से रद्द करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) ₹10

रसीद बुक / क्रम सं०	Unsold रसीद बुकें
3587 to 3600	14x10 = 140
5182 to 5200	19x10 = 190
9573 to 9600	28x10 = 280
9671 to 9700	30x10 = 300
10588 to 10600	13x10 = 130
10642 to 10700	59x10 = 590
11071 to 11100	30x10 = 300
14274 to 14300	26x10 = 260

(ii) ₹20

रसीद बुक / क्रम सं०	Unsold रसीद बुकें
043 to 100	58x20 = 1160
1671 to 1700	30x20 = 600
1876 to 1900	24x20 = 480
3173 to 3200	28x20 = 560
3566 to 3600	35x20 = 700
3772 to 3800	28x20 = 560

5662 to 5700	$38 \times 20 = 760$
6164 to 6200	$36 \times 20 = 720$
6259 to 6300	$42 \times 20 = 840$

(iii) ₹50

रसीद बुक / क्रम सं०	Unsold रसीद बुके
048 to 100	$52 \times 50 = 2600$
869 to 900	$31 \times 50 = 1550$
944 to 1000	$56 \times 50 = 2800$
1759 to 1800	$42 \times 50 = 2100$
1855 to 1900	$55 \times 50 = 2750$
2697 to 2700	$3 \times 50 = 150$
2900	$1 \times 50 = 50$
3000	$1 \times 50 = 50$
3200	$1 \times 50 = 50$
4391 to 4400	$10 \times 50 = 500$
4456 to 4500	$55 \times 50 = 2750$
4581 to 4600	$20 \times 50 = 1000$
5947 to 6000	$54 \times 50 = 2700$

(iv) ₹100

रसीद बुक / क्रम सं०	Unsold रसीद बुके
064 to 100	$36 \times 100 = 3600$
672 to 700	$29 \times 100 = 2900$
747 to 800	$53 \times 100 = 5300$
1173 to 1200	$28 \times 100 = 2800$
1526 to 1600	$75 \times 100 = 7500$
1676 to 1700	$25 \times 100 = 2500$
2376 to 2400	$25 \times 100 = 2500$
2480 to 2500	$21 \times 100 = 2100$
2898 to 2900	$3 \times 100 = 300$
2976 to 3000	$25 \times 100 = 2500$

3062 to 3100	39x100 = 3900
3296 to 3300	5x100 = 500
3858 to 3900	42x100 = 4200
5149 to 5200	52x100 = 5200
5223 to 5300	78x100 = 7800
5388 to 5400	12x100 = 1200
6171 to 6200	30x100 = 3000
6258 to 6300	42x100 = 4200
6331 to 6400	70x100 = 7000
6473 to 6500	28x100 = 2800

(ख) रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारे

स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014 व 2015 में विश्व शान्ति महायज्ञ के लिए मुद्रित की गयी रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

₹	वर्ष 2014		₹	वर्ष 2015	
	रसीद सं.	क्रमांक		रसीद सं.	क्रमांक
10	6001 से 10000	40	10	10000 से 14200	42
20	5001 से 7000	20	20	7001 से 7600	06
50	5001 से 6000	10	50	6001 से 6500	05
100	3001 से 3500	05	100	3501 से 5800	23
	कुल	75		कुल	76

अतः उपरोक्त रसीदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

(ग) मन्दिर न्यास धर्मशाला कुल्लू के प्रभारी द्वारा अपने स्तर पर रसीद बुकों को छपवाए जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संचालित धर्मशाला कुल्लू के प्रभारी द्वारा अपने स्तर पर रसीद बुकों का मुद्रण करवाया जा रहा था और रसीदों बुकों को

जारी करने संबन्धित अभिलेख भी तैयार नहीं किया गया था जो कि गम्भीर अनियमिता है भविष्य में रसीद बुकों का मुद्रण अपने स्तर पर न करके मन्दिर न्यास द्वारा करवाया जाए व रसीदों को जारी करने संबन्धित समस्त अभिलेख भी तैयार किया जाए तथा अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(घ) विभिन्न रसीदों से प्राप्त ₹1760 को कम जमा करना

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर संस्थान द्वारा प्रयोग की गयी विभिन्न रसीदों से प्राप्त राशि से कम राशि लेखों में जमा करवाई गयी थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) हनोगी मंदिर भेंटपात्र से प्राप्त राशि का गलत गणना के कारण कम मात्रा में जमा करवाया जाना

राशि जो रजिस्टर में ली गयी है 830274

राशि जो ली जानी अपेक्षित थी 830284

अन्तर (कम जमा राशि) 10

(रजिस्टर पृष्ठ स 55 (2) ₹5 के 1604 नोटों का योग ₹8020 बनता है जिसे ₹8010 लिया गया है)

(ii) काली माता मंदिर से प्राप्त राशि की गलत गणना

राशि जो वास्तविक में बनती है ₹10×212 = 2120

राशि जो रजिस्टर में ली गयी है ₹10×212 = 1220

अन्तर 900

(रोकड़ बही पृष्ठ स 100 दिनांक 15-10-14 रजिस्टर पृष्ठ 13(2))

(iii) रज्जू मार्ग की रसीदों से प्राप्त राशि की गलत गणना बारे

राशि जो वास्तविक में बनती है ₹25×52 = 1300

राशि जो रजिस्टर में ली गयी है ₹25×52 = 950

अन्तर 350

(रसीद संख्या 14147 से 14198 की रसीदों का ₹25 की दर से योग ₹1300 बनता है जिसे दैनिक आय रजिस्टर में 950 लिया गया है दिनांक 06-06-17 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 34 रजि.पृष्ठ सं 140)

(iv) मनाली स्थित धर्मशाला द्वारा कम राशि की गणना

राशि जो वास्तविक में बनती है = 1550

राशि जो रजिस्टर में ली गयी है = 1050

अन्तर 500

(रसीद संख्या 1550 से 1553 की रसीदों का योग 1550 बनता है जिसे 1050 लिया गया है दिनांक 16-06-16 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 87)

कुल कम जमा की गयी राशि $(i+ii+iii+iv) = 10+900+350+500 = ₹1760/-$

अतः कम जमा की गई राशि की उचित स्रोत से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ड) रद्द की गयी रसीदों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करवाने बारे

मन्दिर न्यास मे प्रयोग की गयी रसीद बुक सं 417 दिनांक 15-5-17 ₹1000 की जय प्रकाश के नाम से लिख कर के रद्द की गयी थी जिसका ओचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तदानुसार अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण मे कारवाई जाए।

(च) नियमित रूप से प्रयोग की जाने वाली रसीद बुकों से संबन्धित अनियमितताएँ

मन्दिर न्यास द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए प्रयोग की गयी रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों से किस कर्मचारी को कब जारी की गई थी, का उल्लेख नहीं था और न ही मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था जिनके बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में रसीदों को नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम सं.	रसीद न	रसीद जिस कार्य के लिए प्रयोग हुई	स्टॉक रेजि. पृष्ठ सं
1	15501 से 17300	रज्जु मार्ग	78
2	201 से 500	लंगर दान	105
3	201 से 2100	दान रसीद	107
4	501 से 1000	आजीवन सदस्य ₹250 वाली	41
5	101 से 1000	₹10 वाली	150
6	101 से 1000	₹20 वाली	152
7	301 से 400	₹50 वाली	154
8	601 से 700	₹100 वाली	156
9	201 से 300	₹500 वाली	158
10	201 से 300	सोना चाँदी रसीद	161

6 सोना चाँदी रजिस्टर में पाई गई अनियमितताएं

मन्दिर न्यास के सोना चाँदी रजिस्टर की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी:

(क) कुल्लू स्थित धर्मशाला PNB A/C NO. 8980

(क) चाँदी के सिक्के का गलत वजन रजिस्टर में दर्ज करना :-

वास्तविक में सिक्के का भार = 9.96 mg

रजिस्टर में दर्ज की गयी मात्रा = 1.96 mg

(रसीद संख्या 138 दिनांक 22-4-13 रजि. पृष्ठ सं 57)

(ख) चाँदी की नथ को सोने के रजिस्टर में गलत लिखने के कारण अंतिम शेष का गलत पाया जाना :-

चाँदी की नथ (6.51 mg) को गलती से सोने के रजिस्टर में लिख दिया गया था जिसके कारण दिनांक 31-12-17 को सोने का अंतिम शेष निम्नविवरणानुसार 6.51 mg बढ़ा हुआ दर्शाया गया:

सोने का 31-12-17 को अंतिम शेष

रजिस्टर के अनुसार अंतिम शेष = 199.78 mg

वास्तव में अंतिम शेष = 193.27 mg

अन्तर = 06.51 mg

चाँदी का दिनांक 31-12-17 को अंतिम शेष

रजिस्टर के अनुसार अंतिम शेष = 3750.93 mg

ऑडिट के अनुसार अंतिम शेष = 3765.44 mg

अन्तर = - 14.51 mg

अतः उपरोक्त प्रविष्टियों की संबन्धित रजिस्ट्रों में सुधार करने के उपरान्त अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए ।

7 रसीदों से प्राप्त आय को बैंक में देरी से जमा करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास की कुल्लू धर्मशाला व मनाली धर्मशाला के प्रभारियों द्वारा रसीदों से प्राप्त आय को 15 -20 दिन तक अपने पास रखा जा रहा था जोकि आपत्तिजनक है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में रसीदों से प्राप्त राशि को उसी दिन या अगले दिन बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए । प्राप्त राशि को देरी से जमा करवाने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

रसीद सं	रसीदों से प्राप्ति का समय	बैंक मे जमा करवाने कि तिथि	रोकड़ बही पृष्ठ सं	राशि
16279 से 16457	23-1-13 से 27-2-13	28-2-13	22	9750
16458 से 16566	1-3-13 से 18-3-13	19-3-13	29	9500
16838 से 16911	11-5-13 से 20-5-13	21-5-13	51	10400
16966 से 17057	1-6-13 से 23-6-13	24-6-13	63	22982
17152 से 17241	11-7-13 से 28-7-13	29-7-13	76	9500
17618 से 17793	1-10-13 से 20-10-13	21-10-13	106	17800
18014 से 18138	12-11-13 से 29-11-13	30-11-13	120	17500
18483 से 18644	22-1-14 से 27-2-14	28-2-14	154	9200
18645 से 18747	28-2-14 से 17-3-14	18-3-14	161	7000
18819 से 18955	28-3-14 से 20-4-14	21-4-14	172	8000
19266 से 19387	1-6-14 से 15-6-14	16-6-14	193	8200
20900 से 20969	11-1-15 से 30-1-15	31-1-15	78	3160
22783 से 22851	1-12-15 से 15-12-15	16-12-15	195	12400
22927 से 23023	6-1-16 से 28-1-16	29-1-16	10	19400
23024 से 23154	29-1-16 से 28-2-16	29-2-16	21	13000

(ख) मनाली स्थित धर्मशाला एसबीआई (मनाली) खाता संख्या-97726

रसीद सं	रसीदों से प्राप्ति का समय	बैंक मे जमा करवाने कि तिथि	रोकड़ बही पृष्ठ सं	राशि
417 से 467	1-2-13 से 28-2-13	02-3-13	38	6806
513 से 563	9-4-13 से 29-4-13	30-4-13	42	5064
790 से 801	1-1-14 से 30-1-14	31-1-14	53	2095
802 से 806	1-2-14 से 27-2-14	28-2-14	54	1720
807 से 820	1-3-14 से 28-4-14	29-4-14	55	3005
821 से 846	30-4-14 से 30-5-14	31-5-14	57	22173
923 से 930	25-7-14 से 26-8-14	27-8-14	60	8010
930 से 949	27-8-14 से 14-10-14	15-10-14	60	7450
957 से 964	30-11-14 से 30-12-14	31-12-14	63	725
986 से 997	1-1-15 से 26-2-15	27-2-15	64	1412
1016 से 1032	1-4-15 से 27-4-15	28-4-15	67	5485
1212 से 1218	30-8-15 से 28-9-15	29-9-15	74	6568

8 विभिन्न संस्थाओं को अनुदान के रूप में दी गयी राशि ₹203.63 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

मंदिर न्यास के लेखों अवधि 1-1-13 से 31-12-17 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान के रूप में राशियाँ प्रदान की गयी थी जिनके अनुदानों से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थाओं से प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं को अनुदान की राशियों को प्रदान करते समय अनुदान का उद्देश्य नहीं दर्शाया गया था। अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गई अनुदान राशियों के साथ वर्तमान अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार प्रदान की गई राशियों का उद्देश्य सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएँ व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

चैक संख्या / रोकड़ बही पृष्ठ सं.	दिनांक	विभाग/संस्था का नाम	राशि
655685	15.2.11	प्रधान साई गौ सदन धर्मपुर	35000
660439	8.6.11	सचिव पशु अत्याचार निवारण समिति, मैगल	50000
660447	27.6.11	अध्यक्ष भूतनाथ मंदिर मण्डी	700000
660461	5.7.11.	प्रधान गणपति मंदिर मण्डी	150000
660462	5.7.11.	प्रधान पराशर ऋषि, बांधी	150000
660463	5.7.11.	प्रधान शुकदेव मंदिर, शारटी	150000
660500	28.8.11	जिला भाषा अधिकारी, मण्डी (श्रावणी पूर्णिमा)	25000
660840	21.10.11	सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, मण्डी	60000
660873	17.11.10	सचिव ग्रीनलैंड सोकर क्लब मण्डी (विज्ञापन)	20000
656126	18.1.12	जिला भाषा अधिकारी (शिवरात्रि)	30000
656127	18.1.12	गौ सदन मैगल	40000
656139	4.2.12	माता बगलामुखी बाखली	100000
656166	5.3.12	अध्यक्ष शिवरात्रि मेला समारिका (विज्ञापन)	50000
661475	23.6.12	गौ सदन मैगल	35000
661479	6.7.12	सचिव हॉट वैदर टूर्नामेंट	20000
661492	9.7.12	एस.डी.एम. सुन्दरनगर (विज्ञापन)	25000
658444	28.9.12	जिला कल्चर काउंसिल मण्डी	1000000
658438	5.9.12	प्रवासी बच्चों को 30 बिस्तर हेतु	122693
658477	17.11.12	गौ सदन मैगल	25000
32	7.3.13.	अधिशिषी अभियंता समशी कुल्लू	2503800
35	15.3.13	अध्यक्ष भूतनाथ मंदिर मण्डी	675000
66	6.5.13	सचिव रेड क्रॉस मण्डी	50000

69	13.5.13	सचिव रेड क्रॉस मण्डी	553000
110	2.8.13	अध्यक्ष भूतनाथ मंदिर मण्डी	430385
114	12.8.13	जिला भाषा अधिकारी मण्डी	25000
130	13.9.13	सचिव गौ सदन मैगल	30000
148	25.10.13	सचिव भूतनाथ मंदिर मण्डी	680377
148	25.10.13	सचिव रेड क्रॉस मण्डी	60000
182	30.12.13	सहायक अभियंता भूतनाथ मंदिर	1136944
8	15.2.14	अधिशायी अभियंता (मण्डल -2) भूतनाथ मन्दिर	452837
13	28.4.14	सचिव गौ सदन मैगल	25000
32	2.6.14	सचिव नगर पंचायत रिवाल्सर	32000
46	2.7.14	अधिशायी अभियंता ग्रामीण विकास	489500
58	21.7.14	अधिशायी अभियंता समशी कुल्लू	484375
67	4.8.14	जिला भाषा अधिकारी मण्डी	25000
68	10.8.14	सहायक अभियंता पंडोह रोप वे	521010
106	31.10.14	अधिशायी अभियंता समशी कुल्लू	971200
148	9.1.15	अधिशायी अभियंता ग्रामीण विकास	802700
148	9.1.15	सचिव गौ सदन मैगल	466000
184	11.3.15	सचिव रेड क्रॉस मण्डी	100000
49	27.6.15	अधिशायी अभियंता ग्रामीण विकास	149700
55	3.7.15	सचिव रेड क्रॉस मण्डी	335835
80	20.8.15	जिला भाषा अधिकारी मण्डी	25000
82	23.8.15	अधिशायी अभियंता समशी कुल्लू रोप वे	6000000
166	24.1.16	अधिशायी अभियंता ग्रामीण विकास	695893
5	18.3.16	कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नेरचौक	21000
26	10.5.16	महामृत्युजय मन्दिर मण्डी	100000
71	6.8.16	जिला भाषा अधिकारी मण्डी	25000
167	18.2.17	डी.सी. मण्डी व अध्यक्ष शिक्षा समिति	200000
54	14.7.17	अध्यक्ष शिवरात्रि मेला	40000
90	28.9.17	एस.पी. पुलिस मण्डी	350000
90	28.9.17	जिला भाषा अधिकारी मण्डी	50000
105	27.10.17	नाम नहीं दिया गया है	50000
		कुल	20363374

9 मंदिर न्यास द्वारा संचालित गो सदन के लिए ठेकेदार द्वारा घास की आपूर्ति न करने के फलस्वरूप ₹0.52 लाख की हानि

मंदिर न्यास द्वारा संचालित गो सदन के लिए ठेकेदार श्री धरम पाल को माह 11/2013 के दौरान एक वर्ष के लिए सूखे व हरे घास की आपूर्ति हेतु क्रमश ₹385 प्रति

क्विंटल व ₹235 प्रति क्विंटल की दर से कार्य आबंटित किया गया था। उक्त ठेकेदार द्वारा एक माह बाद ही घास की आपूर्ति के लिए मना कर दिया गया। इस के फलस्वरूप मंदिर न्यास को घास के लिए दोबारा महंगे दर पर सूखे घास की आपूर्ति हेतु क्रमशः ₹470 प्रति क्विंटल की दर से कार्य को आबंटित करना पड़ा। इस प्रकार मंदिर न्यास को अवधि 12/2013 से 11/2014 तक अनावश्यक रूप से निम्न विवरणानुसार ₹52127 की वित्तीय हानि हुई। अभिलेख की जांच में यह भी पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार से उक्त प्रकरण में न तो धरोहर राशि ली गई थी और न ही ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में ठेकेदार से घास के आपूर्ति के लिए नियमानुसार धरोहर राशि प्राप्त की जाए।

12/2013 से 11/2014 तक घास की आपूर्ति	नए ठेकेदार की दर प्रति क्विंटल	सम्बन्धित ठेकेदार की दर प्रति क्विंटल	वित्तीय हानि (₹)
613.26 क्विंटल	₹470x613.26=288232	₹385x613.26=236105	52127

10 कुल्लू स्थित धर्मशाला की कैंटीन की बोली की आरक्षित कीमत (Reserve Price) अनुचित तरीके से कम करने के कारण ₹4.10 लाख की हानि

मंदिर न्यास द्वारा अवधि 1.6.2013 से 30.4.2014 तक के लिए कुल्लू स्थित धर्मशाला कैंटीन की दिनांक 18.4.3013 को आरक्षित मूल्य ₹470500 पर 11 माह के लिए खुली बोली रखी गई थी। उक्त कैंटीन की बोली हेतु 8 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया लेकिन किसी भी ठेकेदार ने बोली नहीं ली। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि उक्त बोली में हिस्सा लेने वाले ठेकेदार श्री संत राम ने कैंटीन को ₹250000 पर देने के लिए लिखित आवेदन किया था तथा मंदिर न्यास द्वारा इस राशि को आरक्षित मूल्य घोषित कर दिनांक 13.5.2013 को दोबारा बोली रखी गई जिस में पिछली बोली में हिस्सा लेने वाले 4 ठेकेदारों सहित कुल 5 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया व अधिकतम बोलीदाता श्री संत राम को ₹252800 में कैंटीन को आबंटित कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से विदित है कि बोली की प्रक्रिया में केवल एक ही ठेकेदार श्री संत राम को अनुचित लाभ पहुंचाया गया क्योंकि मंदिर न्यास अधिकारियों द्वारा आरक्षित मूल्य विवेकपूर्ण निर्धारण किया गया प्रतीत नहीं होता व श्री संत राम द्वारा आवेदित ₹250000 को ही आधार मानकर बोली हेतु आरक्षित मूल्य का निर्धारण कर दिया गया। इस के अतिरिक्त कैंटीन की बोली हेतु उचित माध्यम द्वारा व्यापक प्रचार भी नहीं किया गया था। अतः कुल्लू स्थित धर्मशाला की कैंटीन की बोली हेतु निर्धारित आरक्षित कीमत को ₹470500 से ₹250000 करने का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

11 अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना व्यक्तिगत वाहनो/टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर ₹0.34 लाख का अनियमित भुगतान

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2017 के लेखो की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर अधिकारी, कनिष्ठ अभिन्यता व अन्य कर्मचारियों द्वारा न्यास के कार्यों को निपटाने हेतु व्यक्तिगत वाहनो/टैक्सी का प्रयोग किया गया था जिस का ब्यौरा निम्न प्रकार से हे। उक्त यात्राओं के संबंध में कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत वाहनो/टैक्सी से यात्रा करने की सक्षम अधिकारी से न तो अनुमति ली गई थी और न ही सक्षम अधिकारी से यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन करवाया गया था। इस के अतिरिक्त न तो यात्रा भत्ते दावे को यात्रा बिल फार्म 7 में दावा किया गया और न ही विभिन्न स्थानो की दूरी दर्शाई गई थी। उक्त प्रकरण मे स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150 दिनांक 05-06-18 द्वारा कहा गया था जिस पर अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः विभिन्न यात्राओं के लिए व्यक्तिगत वाहनो/टैक्सी का प्रयोग करने की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले कर के वास्तविक यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित करवाया जाए व यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दावों को सीमित किया जाए व अधिक भुगतान की स्थिति में सम्बन्धित से वसूली की जाए। जांच हेतु चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों मे किए गए ऐसे सभी भुगतानों की अपने स्तर पर जांच कर के अधिक भुगतान की गई राशि की भी उचित माध्यम से बसूली की जाए व भविष्य मे इस प्रकार के भुगतानों को नियमानुसार ही पारित किया जाए। कृत कारवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Vr. No.	Date	Name of official	Veh.No.&Destination	Date of journey	Amount
384	6.11.13	Sh.Gurdev Kumar	Hanogi-Kullu & back HP0I-0920	4.11.13	800
390	14.11.13	----do---	Aut-Mandi & back HP0M-0920	6.11.13	1000
396	19.11.13	----do---	Aut-Mandi & back HP0M-0920	13.11.13	1000
400	22.11.13	----do----	Aut-Kullu & back Hanogi HP33-8143	18.11.13	1200
400	22.11.13	----do----	Aut-Kullu & back Hanogi HP33-8143	18.11.13	800

409	29.11.13	----do---	Hanogi-Kullu & back HP33-8143	20.11.13	1000
281	17.12.14	---do--	Aut-Mandi & back HP34-2105	28.11.14	1000
289	12/2014		T.O.Hanogi-Manali & back HP-34-2105	1.10.14	1500
289	12/2014		T.O Aut-Nau & back Hanogi HP-66-2105	24.9.14 & 3.10.14	500
297	22.12.14		Gurdev Kumar Hanogi-Kullu & back HP33-8143	13.12.14	1200
301	27.12.14	---do---	Hanogi-Kullu & back HP33-8143	19.12.14	1000
310	31.12.14	---do---	Nagwain-Hanogi & back HP33-8143	27.12.14	500
310	31.12.14	---do---	Hanogi-Kullu & back HP33-8143	29.12.14	1500
196	8.9.15	---do---	Hanogi-Kullu & back HP33-8143	7.9.15	1000
196	8.9.15	---do---	Hanogi-Kullu & back HP66-2105	31.8.15, 1.9.15, 5.9.15	4500
212	22.9.15	Sandeep Kumar	Hanogi-Aut & back HP33-8143	10,14,& 18.9.15	1000
212	22.9.15	Sh.Gurdev Kumar	Hanogi-Manali & back HP33-8143	21.9.15	2200
220	30.9.15	Sh.Gurdev Kumar	Hanogi-Manali & back HP33-8143	28.9.15	2000
223	1.11.16	Sh.Gurdev Kumar	Hanogi-Manali & back HP33D-5610	8.10.16	1000

223	1.11.16	Sh.Gurdev Kumar	Hanogi-Manali & back HP33D-5610	10.10.16	1500
223	1.11.16	Sh.GurdevKumar	Variousplaces HP33D-5610	11.10.16	880
249	8.11.16	Sh.Gurdev Kumar	300 km HP0M-2071	18.10.16	3500
258	17.11.16	Sh.Gurdev Kumar	Hanogi-Manali & back Vehicle no. not mentioned	9.11.16	1500
198	17.10.17	Temple Officer	Aut-Hanogi & back HP33D-5610	23.9.17	1000
203	17.10.17	Sh.Gurdev Kumar	Hanogi-kullu & back HP33D-5610	19.10.17	1000

12 अतिथियों के जलपान पर ₹0.36 लाख का अनियमित व्यय

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2017 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि न्यास के विभिन्न कार्यालयों में निम्न विवरणानुसार ₹35775 अतिथियों के चाय, रिफ्रेशमेंट, जूस, मिनरल वॉटर व प्रशाद के लिए भुगतान किया गया था। उक्त भुगतानों के संबंध में न तो अतिथि रजिस्टर लगाया गया था और न ही न्यास द्वारा मंदिर अतिथियों के चाय-पान के लिए राशि निर्धारित की गई थी। अभिलेख की जांच करने पर यह भी पाया कि चाय-पान के बिलों को प्रतिमाह प्रस्तुत न करके लंबे अंतराल के बाद एक साथ प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150 दिनांक 05-06-18 द्वारा उठाया गया जिस पर अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः चाय-पान पर किए गए भुगतानों का तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए व ऐसे सभी भुगतानों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ले करके नियमित किया जाए। भविष्य में नियमानुसार अतिथियों के चाय-पान के व्यय का भुगतान किया जाए।

Vr. No.	Date	Name of official	Month	Detail	Amount
264	2.12.14	Sh.Bir Singh	9/14,10/14	Tea & Refreshment	3508
210	22.9.15	Juice bar	1.12.14 to 12.9.15	Juice ,water etc	2385
228	1.11.16	Sh.Bir Singh	10/2016	Tea & Refreshment	6855
232	1.11.16	Sh.Bir Singh	11/2015, 12/2015	Tea & Refreshment	5533
247	8.11.16	Sh.Bir Singh	1/2016	Tea, Refreshment	

				& parshad	3931
247	8.11.16	Sh.Bir Singh	3/2016	Tea, Refreshment & parshad	2664
255	12.11.16	Sh. Lalit Kumar	25.5.16 to		
			12.10.16	Juice ,water etc	2480
255	12.11.16	Sh.Bir Singh	9/2016	Tea & Refreshment	4545
200	17.10.17	Juice bar	30.9.17	Juice ,water etc	1655
200	17.10.17	Sh.Pardep Kumar	9/2017	Tea & Refreshment	2219

13 मन्दिर न्यास के नियमित कर्मचारियों को वेतनमान प्रदान करने बारे

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2017 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि न्यास के नियमित कर्मचारियों को माननीय मंदिर आयुक्त के आदेशानुसार, उप-मण्डल अधिकारी एवं अध्यक्ष श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास के पत्र संख्या एसडीएम/सदर/हणोगी/-2733 दिनांक 2-7-2013 द्वारा अन्य अधिकृत मंदिरों के अनुरूप वेतन प्रदान किया गया था। न्यास के नियमित कर्मचारियों को अन्य अधिकृत मंदिरों के अनुरूप वेतन प्रदान करने के सन्दर्भ में निम्नलिखित अपातियाँ पाई गई थी जिन के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150 दिनांक 05-06-18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था जिस पर अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

- (i) अन्य अधिकृत मंदिरों के अनुरूप वेतन/पे-स्केल की श्रेणीबद्ध अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी।
- (ii) श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास के नियमित कर्मचारियों को गत पे-स्केल न्यास कमेटी द्वारा प्रदान किया गया था। मंदिर कर्मचारियों का वर्तमान वेतन/पे-स्केल का 1-7-2013 को किस प्रकार वेतन निर्धारण किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया।
- (iii) श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास के नियमित कर्मचारियों को पे-स्केल मुख्य आयुक्त (मंदिर) एवं प्रधान सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन उपरांत ही दिया जाना अपेक्षित था जबकि इस प्रकरण में अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।
- (iv) श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास के नियमित कर्मचारियों को पे-स्केल प्रदान करते समय अन्य भतों को प्रदान करने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी।
- (v) श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को आबंटित आवास सुबिधा का श्रेणीबद्ध निर्धारण व वेतन से मकान किराये (Standard Licence Fee) की कटौती के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी।
- (vi) नस्ति में की गई टिप्पणी अनुसार कर्मचारियों को पे-स्केल उनके पदनाम के अनुरूप प्रदेश में पांचवे वेतन आयोग में दिए गए पे-बैंड के न्यूनतम पे-स्केल व ग्रेड पे पर दिया

जाना था जब कि कर्मचारियों का वेतन निर्धारण न्यूनतम पे-स्केल व ग्रेड पे से अधिक किया गया था जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई ।

अतः उपरोक्त आपातियों का निपटारा करते हुए ठोस तथ्यों सहित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों का अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ₹3.15 लाख की खरीद व अन्य व्यय

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख कि जांच करने पर पाया गया कि अवधि 1-1-13 से 31-12-17 तक निम्नविवरणानुसार ₹315473 विभिन्न कार्यों हेतु समान की खरीद व अन्य व्यय काम निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना किया गया। अतः बिना निविदाओं के की गई खरीद व अन्य कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेने के उपरान्त सभी भुगतानों को नियमित करवाया जाए व भविष्य में ₹3000 से अधिक सामग्री के क्रय व कार्य के लिए नियमानुसार निविदाएँ आमन्त्रित की जानी सुनिश्चित की जाए।

Vr. No.	Date	Name of firm	Detail/purpose	Amount
404	26.11.13	M/s Legend Graphic.	MandiReceipt Book	7575
404	26.11.13	M/s RajinderaElect.shopMandi	Fancy Light, ladiyan	26400
404	26.11.13	M/s Dwedi Cloth House Mandi	Shirts, Doti	7895
284	17.12.14	Sh. Khube Ram	Desi Ghee	3800
284	17.12.14	Sh. Pawan	KapilaJagaran	17500
289	17.12.14	Sh.Devinder Kumar	Taxi charges	11200
290	17.12.14	Sh.Rajinder Kumar	Fancy Light, ladiyan	28000
290	17.12.14	M/s Vidya Ram Mohan Lal	Ration	22969
290	17.12.14	M/s Dina Nath Studio	Photo	3640
290	17.12.14	M/s Legend Graphic.Mandi	Receipt Book	9075
290	17.12.14	M/S Paul&Sons Mandi	Miscellanies items	9525
302	27.12.14	M/s Vigson Gen. Store Kullu	Miscellanies items	4900
185	1.9.15	M/s Mohan Singh Manjit Singh	Parshad	21000
223	1.11.16	Sh.Amar Singh	Patal,Dune	7850
229	1.11.16	Sh. Pawan Sharma	Boti	11550

230	1.11.16	Sh.Rajiv Dixit	Jagrata Charges	16000
231	1.11.16	M/s ParamDevAmritLal	Paint	21119
231	1.11.16	M/s Naina Tent House	Light,Lari	5000

वाउचर सं	माह	दुकान का नाम	भुगतान की गयी राशि	नियमानुसार देय राशि	राशि जो देय नहीं है	दवाई का नाम
233	1.11.16	M/s Mohan Singh Manjit Singh		Ration		31500
196	17.10.17	Sh. Baldev Singh		Taxi Rent		6300
197	17.10.17	Sh.Prem Singh		Ghee		7500
197	17.10.17	Sh. MurariLal Sharma		Boti		17500
198	17.10.17	M/s Kullu Cap House		Caps		8000
198	17.10.17	M/s Verma Shawl Aut		Caps		8600
210	27.10.17	M/s M Sons Furniture Industries		Trolley Mattress		1075
Total						₹315473

15 हि.प्र. को.ओ. बैंक खाता संख्या - 56 को निष्क्रिय रखने के कारण मंदिर न्यास को ₹2105 की हानि

मन्दिर न्यास हनोगी के लेखों अवधि 1-1-2013 से 31-12-17 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि हि.प्र. को.ओ. बैंक खाता न० सं - 56 मे 1-1-13 को ₹2105 शेष थे मन्दिर न्यास द्वारा उक्त बैंक खाते मे आगामी वर्षों मे लेनदेन न करने के फलस्वरूप बैंक द्वारा लेजर फोलियो व न्यूनतम शेष चार्ज के रूप मे ₹2105 काट लिए गए थे । इस प्रकार मन्दिर न्यास को अनावश्यक रूप से ₹2105 की हानि हुई जिस का दायित्व निर्धारित करने के उपरांत उचित स्रोत से वसूली की जाए तदानुसार कृत कारवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹1400 का अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास के लेखों के चयनित माह 11/2013 व 12/2014 के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि श्री गुरदेव कुमार (कनिष्ठ अभियंता) को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किया गया था जिस मे से निम्न विवरणानुसार भुगतान की गयी राशि नियमानुसार देय नहीं थी जिसकी उचित स्रोत से वसूली करके मन्दिर न्यास निधि मे जमा करवाया जाए तदानुसार अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण मे कारवाई जाए ।

48	11/13	M/STHUKRALME DICALHALL	2557	2257	300	INSULINSYRING
274	12/14	M/STHUKRALME DICALHALL	9308	8208	1100	GLUCOMETERSTRIP
					1400/-	

17 स्रोत पर काटे गए बिक्री कर व आयकर ₹0.27 लाख को जमा न करवाना

श्री हनोगी मन्दिर न्यास के लेखों 1-1-13 से 31-12-17 के चयनित मासों की जांच करने पर पाया गया कि हनोगी मन्दिर न्यास में निम्नलिखित निर्माण कार्य किए गए थे। उक्त निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों से बिक्रीकर व आयकर की निम्न विवरणानुसार काटी गयी ₹27170 को संबन्धित विभाग के पास जमा नहीं करवाया गया था। इस के अतिरिक्त अवधि 1-1-13 से 31-12-17 तक अन्य मासों में किए गए ऐसे सभी भुगतानों से काटे गए बिक्रीकर व आयकर की गणना करके नियमानुसार सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

Name of contractor	Name of work & M.B. No	Total work done	Sale tax deducted	Income tax deducted	Total
Sh. Bhoop Singh	R/o and rain damage at Shree Hanogi Mata Mandir M.B. -3 Page - 25 M.B. - 2 Page - 99	396868	7937	7937	15874
Sh. Rajnish Thakur	C/o Septic Tank for general Toilet Mandir side ShriHanogi Mata Mandir	101376	2028	2028	4056
Sh. Pankaj Sharma	Painting & White washing Hanogi Mata Temple	16925	3277	3277	6554
Sh. PankajSharms	Repair of wash washin	17401	348	348	696
					27180

18 सावधि जमा से स्रोत पर काटे गए आयकर ₹3.71 लाख की बैंक से वसूली शेष

मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 1-1-13 से 31-12-17 के दौरान सावधि जमा में निवेशित राशियों की जांच पड़ताल पर पाया गया कि बैंक द्वारा परिपक्वता पर अर्जित ब्याज में से निम्न विवरणानुसार ₹453704 आयकर की कटौती की गयी थी और उक्त राशि में से ₹370914 का रिफंड बकाया था जिसके रिफंड के लिए मामला बैंक से उठाया जाए व सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाया जाए।

Sr. No	F.D.R.No	Name of Bank	Maturity Date	T.D.S. Deducted	T.D.S. Refunded	Balance
1	6978	HDFC Mandi	28-9-13	53296	0	53296
2	14696/6927	PNB Pandoh	27-12-14	2604	2485	119
3	1531	PNB	31-12-14	2998	2480	518

		Pandoh				
4	681	PNB Pandoh	22-12-14	13311	12732	579
5	6978	HDFC Mandi	14-11-14	59628	0	59628
6	15513/12449	PNB Pandoh	29-10-15	10000	3274	6726
7	6978	HDFC Mandi	31-10-15	64835	61819	3016
8	6425/611	Mandi Urban Co- op Bank	7-2-16	6784	0	6784
9	6978	HDFC Mandi	15-11-16	59344	0	59344
10	14928/8457	PNB Pandoh	30-6-17	3922	0	3922
11	14463/1180	PNB Pandoh	20-7-17	1379	0	1379
12	14696/6927	PNB Pandoh	27-12-17	9789	0	9789
13	451	PNB Pandoh	11-7-17	8219	0	8219
14	460	PNB Pandoh	11-7-17	8219	0	8219
15	1531	PNB Pandoh	31-12-17	7618	0	7618
16	681	PNB Pandoh	22-12-17	58057	0	58057
17	3772	PNB Pandoh	12-8-17	363	0	363
18	15513/12449	PNB Pandoh	29-10-17	8016	0	8016
19	9572	PNB Pandoh	9-10-17	565	0	565
20	4326	PNB Pandoh	20-12-17	16768	0	16768
21	6978	HDFC Mandi	21-11-17	57989	0	57989
			Total	453704	82790	370914

19 औट्सोर्सिंग नियुक्तियों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2017 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 19.9.2014 से 31.12.2017 के दौरान श्री तेजिंदर सिंह को कार्यालय आदेश संख्या SDM/SDR Hanogi 2014-3396-3397 दिनांक 18-9-2014 द्वारा M/S SDC MANPOWER SERVICES PVT LTD NEW SHIMLA के माध्यम से रोप वे ऑपरेटर के तौर पर र 7150 प्रतिमाह और मन्दिर की सुरक्षा के लिए कार्यालय आदेश संख्या SDM/SDR Hanogi 2016-3350-3352 दिनांक 8/2016 द्वारा

दो सिक्युरिटी गार्ड को ₹7100 प्रतिमाह के वेतन पर रखा गए थे। उक्त आउटसोर्सिंग कंपनियों के पक्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित कांट्रैक्ट, अवधि व शर्तों का अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्य 150 दिनांक 05-06-18 द्वारा कहा गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करके व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 श्री जीवन सिंह दैनिक भोगी लिपिक व श्री रमेश कुमार दैनिक भोगी चपड़ासी की पुनः नियुक्ति का अभिलेख प्रस्तुत न करना

मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि श्री जीवन सिंह दैनिक भोगी लिपिक व रमेश कुमार दैनिक भोगी चपड़ासी को मन्दिर न्यास में न्यायालय आदेशों पर वर्ष 2013 में पुनः नियुक्त किया गया था परन्तु नियुक्तियों से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे की आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास के विभिन्न स्टॉक रजिस्ट्रों में पड़े समान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गयी है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम, 2009 की धारा 140 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना कारवाई जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलंब नियमानुसार स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापना करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जाए।

22 मन्दिर न्यास द्वारा वार्षिक बजट तैयार न करना

हनोगी मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2017 के लेखों की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा उपरोक्त अवधि में वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया था, जबकि H.P. Public Religious Institution and Charitable Endowment Rule 1984 के rule 13 (22) के अनुसार वार्षिक बजट तैयार किया जाना अपेक्षित था। अतः मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व 1.1.13 से 31.12.17 के समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार गत वर्षों के आय व व्यय के आँकड़ों के आधार पर आगामी वर्ष का बजट विहित समय में तैयार करवाकर सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के

उपरांत ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए । इस सन्दर्भ में अपेक्षित अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए ।

23 बिजली के बिलों के भुगतान से संबंधित अभिलेख का रखरखाव न करने बारे :-

हनोगी मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2013 से 31.12.2017 के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मंदिर न्यास के बिजली के बिलों के भुगतान से संबंधित रजिस्टर नहीं लगाया गया था अतः परामर्श दिया जाता है कि बिजली की खपत का अलग-अलग मीटर का माहवार रजिस्टर लगाया जाए तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

24 अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

श्री हनोगी माता मंदिर न्यास के अवधि 1-1-13 से 31-12-17 के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

- 1° मोटर बोट का रख-रखाव रजिस्टर व लोग बुक
- 2° जेनेरेटर सेट की लोग बुक

25 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपदान (Gratuity) के भुगतान बारे

श्री हनोगी माता मन्दिर न्यास के लेखों के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 1-1-13 से 31-12-17 तक न्यास से निम्नलिखित कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए जिन्हें मन्दिर का सरकारीकरण से पूर्ण मन्दिर कमेटी दिनांक 14.9.96 में पारित निर्देशों/सिफारिशों के अन्तर्गत निम्नानुसार उपदान का भुगतान किया गया था परन्तु इस कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए ।

क्रम सं	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	भुगतान की गयी राशि
1	श्री विशाल शर्मा	(पुजारी)	30-6-16	₹131213
2	श्री डोले राम ठाकुर	(अधीक्षक)	30-9-15	₹429836
3	श्री धर्मदेव शर्मा	फार्मसिस्ट	31-12-13	₹228427

- 26 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गयी है
- 27 निष्कर्ष : - मंदिर न्यास के लेखों में सुधार एवं सुदृढ लेखांकन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)277 / 11-खण्ड-1-7591-7594 दिनांक:
12.11.18 शिमला-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, श्री हनोर्गी माता मन्दिर, मन्दिर न्यास हनोर्गी, तहसील और जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 3 उपायुक्त मण्डी एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री हनोर्गी माता मन्दिर मन्दिर न्यास हनोर्गी, तहसील और जिला मण्डी (हि0प्र0)
- 4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-09

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09
फोन नं0 0177-2620881

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/2006 से 12/2010

1	पैरा-6 (क) (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (ग) (i) से (V)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (ग) (vi)	निर्णीत
4	पैरा-6 (ग) (vii)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (ग) (viii)	निर्णीत
6	पैरा-6 (ग) (ix)	अनिर्णीत
7	पैरा-7	अनिर्णीत
8	पैरा-8	अनिर्णीत
9	पैरा-9	अनिर्णीत
10	पैरा-10	अनिर्णीत
11	पैरा-11 (1)	निर्णीत
12	पैरा-11 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा-14	अनिर्णीत
14	पैरा-15	निर्णीत
15	पैरा-16	अनिर्णीत
16	पैरा-17	निर्णीत एवं प्रारूपित
17	पैरा-18	अनिर्णीत
18	पैरा-19	अनिर्णीत
19	पैरा-20	निर्णीत एवं प्रारूपित
20	पैरा-21	निर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2011 से 12/2012

1	पैरा-3	निर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत
3	पैरा-5	निर्णीत एवं प्रारूपित
4	पैरा-6	अनिर्णीत
5	पैरा-7	अनिर्णीत
6	पैरा-8	निर्णीत एवं प्रारूपित
7	पैरा-9	निर्णीत
8	पैरा-10	अनिर्णीत
9	पैरा-11	अनिर्णीत
10	पैरा-12	निर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	30
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	23
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	12
अवधि 1.1.13 से 31.12.17 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	43